

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 06/08/2025

अधि० सं० ग्रा०वि०-3/स्था०-1-03/2025 44-38379 श्री आर्य गौतम (अनुक्रमांक-220714), बिहार ग्रामीण विकास सेवा का उनके अनुरोध के आधार पर वर्तमान पदस्थापन वरीय सहायक निदेशक, बिपार्ड (गया) से उनकी सेवा वापस लेते हुए, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) में द्वितीय प्रोन्नति के पंदक्रम- जिला विकास पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री आर्य गौतम को निदेशित किया जाता है कि बिपार्ड (गया) से विरमित होकर अपने नवपदस्थापित जिला में योगदान देना तथा प्रभार ग्रहण करना अविलंब सुनिश्चित करेंगे तथा योगदान एवं प्रभार प्रतिवेदन विभागीय ईमेल (rlrsec-bih@nic.in) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. अधिसूचित पदाधिकारी का वेतनादि का भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बजट शीर्ष "42-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष-001 निर्देशन तथा प्रशासन उप शीर्ष-0010 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड-42-2515-00-001-0010)" के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

4. संबंधित पदाधिकारी के नवपदस्थापन स्थान पर योगदान की तिथि से वेतनादि का भुगतान पदस्थापित जिला से किया जायेगा।

5. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 44-38379

दिनांक:- 06/08/2025

ग्रा०वि०-3/स्था०-1-03/2025

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/ जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/ उप विकास आयुक्त, शेखपुरा/ कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/ श्री आर्य गौतम, अधिसूचित जिला विकास पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से अनुरोध है कि विभागीय अधिसूचना वेबसाइट- <https://state.bihar.gov.in/rdd> के वेबसाइट पर उपलब्ध है इसे आज ही डाउनलोड कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4438379

दिनांक:- 06/08/2025

प्रतिलिपि- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) को उनके पत्रांक- ATI/3394 दिनांक 01.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक:- 4438379

दिनांक:- 06/08/2025

प्रतिलिपि- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-14/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव